



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271085
CG-DL-E-20032026-271085

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1365]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 1365]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

का.आ. 1430(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 128 तारीख 08/01/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-205-K के लुधियाना -रूपनगर खंड कि.मी. 66.700 से कि.मी.91.000 एंव सपर से खरड कि.मी. 0.000 से कि.मी. 19.500 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17/01/2026 " को "हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)" और "अजीत (पंजाबी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-205-K के लुधियाना -रूपनगर खंड कि.मी. 66.700 से कि.मी. 91.000 एंव सपर से खरड कि.मी. 0.000 से कि.मी. 19.500 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: रूपनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चमकौर साहिब					
गांव का नाम: कटलौर (145)					
1	32//12/1	निजी	कृषि	0.0202	सुरजन सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र पूरन सिंह 214/325 हिस्सा, अमरजीत कौर पत्नी सोहन सिंह पुत्र बाबू सिंह हिस्सा 111/650, मलकीत सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र बाबू सिंह हिसा 111/650
2	32//12/2/1	निजी	कृषि	0.0101	सुरजन सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र पूरन सिंह 214/325 हिस्सा, अमरजीत कौर पत्नी सोहन सिंह पुत्र बाबू सिंह हिस्सा 111/650, मलकीत सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र बाबू सिंह हिसा 111/650

3	32//12/2/2	निजी	कृषि	0.0051	सुखदेव सिंह पुत्र जगदीश सिंह पुत्र काका सिंह 25/243 हिस्सा, बलजीत कौर पत्नी हरजीत सिंह पुत्र गुरदास सिंह 25/243 हिस्सा, धन्ना सिंह पुत्र काका सिंह पुत्र हीरा सिंह 113/243 हिस्सा, नवदीप सिंह खटरा पुत्र धन्ना सिंह पुत्र काका सिंह 80/243 हिस्सा
4	32//19/1	निजी	कृषि	0.0152	सुखदेव सिंह पुत्र जगदीश सिंह पुत्र काका सिंह 25/243 हिस्सा, धन्ना सिंह पुत्र काका सिंह पुत्र हीरा सिंह 6499/57348 हिसा, नवदीप सिंह पुत्र धन्ना सिंह पुत्र काका सिंह 80/243 हिसा, बलजीत कौर पत्नी रणजीत सिंह पत्नी गुरदास सिंह 25/243 हिसा, जगदीश सिंह पुत्र काका सिंह पुत्र हीरा सिंह 83/236 हिसा
5	32//19/2	निजी	कृषि	0.0177	जगदीश सिंह पुत्र काका सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/2 हिस्सा, धन्ना सिंह पुत्र काका सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/2 हिसा
6	32//2/1	निजी	कृषि	0.0278	हरविंदर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह पुत्र अजीत सिंह
7	32//2/2/1	निजी	कृषि	0.0304	हरविंदर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह पुत्र अजीत सिंह
8	32//2/2/2	निजी	कृषि	0.0101	हरविंदर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह पुत्र अजीत सिंह

9	32//2/3	निजी	कृषि	0.0278	हरविंदर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह पुत्र अजीत सिंह
10	32//23/1	निजी	कृषि	0.0202	अवतार सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र भगत उर्फ नूना 1/1 हिसा
11	32//23/2	निजी	कृषि	0.0051	अवतार सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र भगत उर्फ नूना 1/1 हिसा
12	32//9/1	निजी	कृषि	0.0304	हरविंदर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह पुत्र अजीत सिंह
13	32//9/2	निजी	कृषि	0.043	सुरजन सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र पूरन सिंह 653/1222 हिस्सा, रणधीर सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र मूला सिंह 13/188 हिस्सा, अमरजीत कौर विधवा सोहन सिंह पुत्र बाबू सिंह हिसा 865/4888, मलकीत सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र बाबू सिंह हिसा 865/4888, नरेंद्र सिंह पुत्र सतनाम सिंह पुत्र दलीप सिंह 2/47 हिस्सा
Total				0.2631	

[फा. सं. 900/3/PIU-LDH/BM/LOT4-PKG1/LOT6-PKG6/LA/3a/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2026

S.O. 1430(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 128 Dated:08/01/2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-205-K in the stretch of land from Ludhiana -Rupnagar Section Km 66.700 to Km 91.000 with Spur connectivity to Kharar (Km. 0.000 to Km. 19.500) in the District of RUPNAGAR in the state of PUNJAB;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan Times (*English*)” and “*Ajit (Punjabi)*” both dated 17/01/2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-205-K in the stretch of land from Ludhiana -Rupnagar Section Km 66.700 to Km 91.000 with Spur connectivity to Kharar (Km. 0.000 to Km. 19.500) in the District of RUPNAGAR in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB			District: Roopnagar		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chamkaur Sahib					
Village: Katlaur (145)					
1	32//12/1	Private	Agriculture	0.0202	Surjan Singh S/o Babu Singh S/o Puran Singh 214/325 Hissa, Amarjit Kaur widwa Sohan Singh S/o Babu Singh Hissa 111/650, Malkit Singh S/o Sohan Singh S/o Babu Singh Hissa 111/650
2	32//12/2/1	Private	Agriculture	0.0101	Surjan Singh S/o Babu Singh S/o Puran Singh 214/325 Hissa, Amarjit Kaur widwa Sohan Singh S/o Babu Singh Hissa 111/650, Malkit Singh S/o Sohan Singh S/o Babu Singh Hissa 111/650
3	32//12/2/2	Private	Agriculture	0.0051	Sukhdev Singh S/o Jagdish Singh S/o Kaka Singh 25/243 Hissa, Baljit Kaur W/o harjit Singh S/o Gurdas Singh 25/243 Hissa, Dhanna Singh S/o Kaka Singh S/o Hira Sigh 113/243 Hissa , Navdeep Singh Khatra S/o Dhanna Singh S/o Kaka Singh 80/243 Hissa

4	32//19/1	Private	Agriculture	0.0152	Sukhdev Singh S/o Jagdish Singh S/o Kaka Singh 25/243 Hissa, Dhanna Singh S/o Kaka Singh S/o Hira Singh 6499/57348 Hissa , Navdeep Singh S/o Dhanna Singh S/o Kaka Singh 80/243 Hissa, Baljit Kaur W/o Ranjit Singh S/o Gurdas Singh 25/243 Hissa, Jagdish Singh S/o Kaka Singh S/o Hira Singh 83/236 Hissa
5	32//19/2	Private	Agriculture	0.0177	Jagdish Singh S/o Kaka Singh S/o Hira Singh 1/2 Hissa, Dhanna Singh S/o Kaka Singh S/o Hira Singh 1/2 Hissa
6	32//2/1	Private	Agriculture	0.0278	Harvinder Singh S/o Surender Singh S/o Ajit Singh Hissa 1/1
7	32//2/2/1	Private	Agriculture	0.0304	Harvinder Singh S/o Surender Singh S/o Ajit Singh Hissa 1/1
8	32//2/2/2	Private	Agriculture	0.0101	Harvinder Singh S/o Surender Singh S/o Ajit Singh Hissa 1/1
9	32//2/3	Private	Agriculture	0.0278	Harvinder Singh S/o Surender Singh S/o Ajit Singh Hissa 1/1
10	32//23/1	Private	Agriculture	0.0202	Avtar Singh S/o Gurdev Singh S/o Bhagtu Urf Nuna Hissa 1/1
11	32//23/2	Private	Agriculture	0.0051	Avtar Singh S/o Gurdev Singh S/o Bhagtu Urf Nuna Hissa 1/1
12	32//9/1	Private	Agriculture	0.0304	Harvinder Singh S/o Surender Singh S/o Ajit Singh Hissa 1/1
13	32//9/2	Private	Agriculture	0.043	Surjan Singh S/o Babu Singh S/o Puran Singh 653/1222 Hissa, Randhir Singh S/o Balkar Singh S/o Mula Singh 13/188 Hissa , Amarjit Kaur widwa Sohan Singh S/o Babu Singh Hissa 865/4888,

					Malkit Singh S/o Sohan Singh S/o Babu Singh Hissa 865/4888, Narendar Singh S/o Satnam Singh S/o Dalip Singh 2/47 Hissa	
				Total	0.2631	

[F. No. 900/3/PIU-LDH/BM/LOT4-PKG1/LOT6-PKG6/LA/3a/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director